

श्री ३००० नं. का

विशेष विज्ञापन

विभाग

अल्पसंख्यक कल्याण ३० प्र०  
इतिहास, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग-। लखनऊ: दिनांक: ३० नव. १९७७

विषय: प्रदेश के वक्फ अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग के कार्य को सुचारु रूप से चलायाने हेतु विशेषज्ञ स्तर पर मानी टैलेंट सेवा की स्थापना ।

महोदय, अत्युत्तम विभाग पर मुझे वह कलम का विवेक हुआ है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग की स्थापना की गई है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा उनके सामाजिक अधिकारों की रक्षा के साथ राज्य सरकार द्वारा जमकराए गए कलमों या एकी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनकी विशिष्ट समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। कार्य को अत्युत्तम चलायी जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण ३० प्र० लखनऊ स्तर पर एक मानी टैलेंट सेवा की स्थापना हेतु विम्बलितित अस्थायी पदों को उस पर नियुक्ति की तिथि वा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक २९/१२/७७ तक सुजित करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहित इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदात करते हैं कि इनमें विभा. किसी भी स्तर के पदों में समाप्त किया जा सकता है :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
१-	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	१ पद	२२००-७५-२८००
			६०१०-१००-
			४०००

कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग वर 1400-4000000  
 50-0000-0000-00-  
 50-2600

वार वितीय वर्ष 1996-97 में निम्न शीर्षक वार व्यवस्था

विस्तार :-

01- वेतन	43,200
03- महंगाई भत्ता	70,000
05- अन्य भत्ते	20,000
	<u>133,200</u>
	=====

2- अतः सर्वोपरि उक्त वारता व्यवस्था वितीय वर्ष 1996-97 में प्रभावी  
 विभाग 53 के विभाग शीर्षक - 2079-अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत  
 तथा प्रशासन-01-अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत  
 3- उपरोक्त हकीकत इस शर्त के अन्तर्गत है कि व्यवस्थापक द्वारा प्रस्तावित  
 वि विद्युत अधिविवम द्वारा प्राप्ति विधि से पूर्ण हो एवं उपरोक्त विधि  
 लिए व्यवस्थापक 1996-97 के मूल आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी वि विद्युत अधिविवम  
 द्वारा अतः व्यवस्थापक को प्राप्त ।

4- यह कार्यवाही विस्तार विभाग के सहायकीय संख्या 1-11/2079-अन्य प्रशासनिक  
 विभाग 17 मई, 1996 में प्राप्त उक्त संकल्प से जारी किये जायेंगे ।

  
 30/5/96